Rajendra K. Sail
Organizing Secretary

People's Union for Civil Liberties

SHALOM
House No.18/1422,
New Shanti Nagar,
P.O. : SHANKER NAGAR,
Distt.: Raipur (M.P.) 492007

प्रेस विज्ञप्ति

भिलाई गोलीकांड-

न्यायिक जांच रपट पर पी.यू.सी.एल. की प्रतिक्रिया

''आज़ाद भारत में जनता पर पुलिस गोलीचालन कभी भी न्यायसंगत नहीं''

रायपुर, ६ अगस्त १९९८

१ जुलाई १९९२ को भिलाई में मज़दूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने पर न्यायिक जांच आयोग की रपट के संदर्भ में राष्ट्रीय पी.यू.सी.एल. के संगठन सचिव राजेन्द्र सायल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ''आज़ाद भारत में नागरिकों पर पुलिस चालान किसी भी परिस्थिति में न्यायसंगत करार नहीं दिया जा सकता. पुलिस द्वारा अपने ही देशवासियों पर बल प्रयोग अंग्रेज शासनकाल की औपनिवेशिक नीतियों पर आधारित कानूनों की देन है, जिस पर आलोचनात्मक टिप्पणी कर विभिन्न विधि एवं पुलिस आयोगों ने ऐसे कानूनों में परिवर्तन की सिफारिशें की हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाये''.

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पी.यू.सी.एल. के संगठन सचिव ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्ष उन सभी जांच आयोगों के निष्कर्षों से एकदम विपरीत हैं जो विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों ने भिलाई गोलीकांड के संदर्भ में गठित किये थे. जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में पीपुल्स ट्रिब्यूनल्स गठित कर देश के तमाम मानवाधिकार संगठनों ने नवंबर १९९२ में भिलाई गोलीकांड को एकदम गलत करार दिया था और मज़दूरों पर होने वाले दमन की प्रक्रिया की चरम सीमा करार दिया था.

राजेन्द्र सायल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि दिग्विजय सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कैसे कर लिया जबकि १९९२ में दिग्विजय सिंह ने स्वयं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जिसमें श्री मोतीलाल वोरा के अलावा, दिवगंत श्री चंदूलाल चंद्राकर, श्री वासुदेव चंद्राकर, श्री अरविंद नेताम एवं अधिवक्ता श्री कनक तिवारी सदस्य थे. कांग्रेस दल की इस जांच समिति ने पुलिस गोलीचालन को गैर कानूनी एवं पुलिस प्रयोग को अनावश्यक क्रूरता करार दिया था.

पी.यू.सी.एल. द्वारा मुख्यमंत्री को एक फैक्स भेजकर यह पूछा गया है कि इन दोनों रपटों में विरोधाभास को स्पष्ट कर श्री दिग्विजय सिंह आम जनता और विशेषकर भिलाई के मज़दूरों के प्रति अपनी नैतिक जवाबदारी का परिचय दें. सायल ने

मुख्यमंत्री से पूछा है कि कांग्रेस जांच दल की रपट या न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्ष में से कौन सत्य है. उन्होंने आगे सवाल उठाया कि न्यायिक जांच आयोग की रपट के निष्कर्षों को स्वीकार कर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली इंका सरकार ने क्या यह कबूल कर लिया है कि उनके द्वारा गठित उनकी पार्टी की जांच दल की रपट के निष्कर्ष सफेद झूठ हैं?

न्यायिक जांच आयोग के इस निष्कर्ष को सत्य से परे बताया कि श्रमिक उग्र हो गये थे और इसलिये पुलिस द्वारा गोली चालन नितांत आवश्यक हो गया था. सरकारी आंकड़ों के अनुसार १६ नागरिक मारे गये और १५३ घायल हुए. इस परिप्रेक्ष्य में यह साफ है कि पुलिस उग्र हो गई थी न कि निहत्थे नागरिक. पीपुल्स ट्रिब्यूनल और कांग्रेस जांच दल के अनुसार भी यह पाया गया कि भिलाई और उसके आसपास के इलाकों में गोलीचालन के बाद भी महीनों तक आम नागरिकों पर पुलिसिया दमन जारी रहा और श्रमिक नेताओं पर तमाम झूठे आपराधिक मामले जड़ दिये गये.

यह दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर किये गये अपराधों को आज़ाद भारत में नज़रअंदाज किया जा रहा है. ऐसी परिस्थिति से आम धारणा यह बन रही है कि पुलिस कानून के ऊपर है और वह किसी भी गलती के लिए किसी के प्रति जवाबदार नहीं.

राजेन्द्र सायल ने आगे कहा कि न्यायिक जांच आयोग की इस टिप्पणी ने दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में श्रम कानूनों के पालन में राज्य सरकार पूर्णता विफल रही है. अंचल के उद्योगपतियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से ४६०० प्रताड़ित मज़दूरों को न्याय और राहत दिलाने में राज्य सरकार की विफलता के लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं. इसलिए पी.यू.सी.एल. ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इन प्रताड़ित मज़दूरों को तत्काल राहत दिलाते हुए नौकरी पर वापस लेना चाहिए और इसके लिए दोषी अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए.

उन्होंने अंत में कहा कि अंचल में स्थायी औद्योगिक शांति के लिए हमारे देश के श्रम कानूनों को पूर्णतः लागू करने की आवश्यकता है, जिसके प्रति वर्तमान सरकार को अपनी ईमानदारी दर्शानी है.

राजेन्द्र कुमार सायल

लोक स्वातंत्र्य संगठन (पी.यू.सी.एल.)

(१८/१४२२, न्यू शांति नगर, रायपुर - ४६२००७, म.प्र.)

दिनांक - २६ अगस्त १६६८

विषय : भिलाई (दुर्ग) गोली चालान न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन

प्रिय साथी,

आपको ज्ञात होगा कि दिनांक १ जुलाई, १६६२ को जिला दुर्ग के भिलाई पावर हाऊस रेल्वे स्टेशन पर छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धरना दिये जाने के दौरान पुलिस ने गोलीचालन किया था जिसमें १६ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी जिसमें १५३ व्यक्ति घायल हो गये थे.

छह साल के बाद न्यायिक जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन ८ मार्च १६६८ को मध्यप्रदेश सरकार को सौंपा जिसने २५-७-६८ को इसे विधानसभा में पेश कर इसके निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार किया.

१६६ पृष्ठों की इस रपट के कुछ मुख्य अंश मैं यहां संलग्न कर रहा हूं.

गोली चालन को न्यायसंगत ठहराते हुए न्यायिक जांच आयोग ने सिफारिशें भी दी है इस पूरी रपट को पढ़ने पर मानव अधिकार संगठनों एवं कार्यकर्ताओं के सामने एक चिंताजनक परिस्थिति पैदा होती है क्योंकि इस आयोग ने अपने कुछ निष्कर्षों और सिफारिशों में जो नज़रिया लिया है वह भारत में प्रजातंत्र के भविष्य पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है. इस कारण इस रपट पर अध्ययन कर चर्चा की आवश्यकता है. इसलिए मैं इसे आपको भेज रहा हूं ताकि आप इस पर अपनी टिप्पणी एवं सुझाव मुझे जल्द से जल्द भेजे. इस संबंध में मैं पी.यू.सी.एल. की ओर से मध्यप्रदेश में कुछ साथियों को सामूहिक चर्चा हेतु जल्द ही आमंत्रित करूंगा ताकि इस संबंध में हम सभी एक भावी रणनीति एवं कार्यक्रम तैयार कर सके.

इस रपट पर मैंने प्रेस में एक बयान भी जारी किया है , जो यहां संलग्न है.

शुभकामनाओं सहित,

संघर्ष में आपका साथी

राजेन्द्र कुमार सायल

India's largest selling daily newspaper

ESTABLISHED 1838

The leader guards the reader

THE TIMES OF INDIA

NO. 218 VOL. CLIV. METRO NEW DELHI: THURSDAY SEPTEMBER 12 1991 Rs. 2.20 16 + 2 METRO PAGES

MP INDUSTRIAL STRIFE

Workers' memo to President

By A Staff Reporter

NEW DELHI, September 11

"We come to tell the President about our problems, and this is our last plea---after this, we'll be forced to take militant action," Mr. Shankar Guha Neogi, veteran trade union leader of Chattisgarh region in Madhya Pradesh, said here today.

Mr Neogi and others of a 200-member delegation, which is camping outside the Constitution Club on Rafi Marg, were narrating to mediapersons the sordid tales of repression and exploitation in the industries of Bhilai.

Earlier, a delegation of the Chattisgarh Mukti Morcha (CMM) and Prapatsheel Lugg Shramik Sangh (PLSS) leaders met the President, Mr. R. Venkataraman, and presented a memorandum signed by 50,000 workers.

The delegation comprising, among others, Mr Janak Lal Thakur, president CMM, Swami Agnivesh of the Bandhua Mukti Morcha and Mr Neogi, organising secretary CMM, apprised the President of the apathy of the local administration and the M.P government towards the workers' the Chattisgarhis employed in the 250 odd industries around this steel township are treated in the most inhuman manner, said Mr Neogi.

Ever since the workers formed the Chattisgarh Mukti Morcha in September last year, a reign of terror has been unleashed by the private armies of the industrialists who have the patronage of the state government, the workers allege.

BRUTAL ATTACKS: Nearly 250 workers have been beaten up, women molested, and three workers have died as a result of brutal attacks by these private "goondas" during the last one year, said Mr Neogi. Nearly 1,200 workers were in jail in various false charges, he added.

Since the start of the CMM led strike, nearly 2,000 workers have been victimised. And the managements of these units refuse to recognise the workers' union, the say.

The CMM and PESS leaders will be meeting the Prime Minister and the labour minister tomorrow. The Bharatiya Janata Party president, Mr L.K. Advani, has also agreed to meet the workers tomorrow.

Says Mr. Neogi, "We will tell Mr. Advani that in the name of 'Ram'

problems.

According to Mr. Neogi, the President assured the delegation that he would write to the Madhya Pradesh governor and also the Union labour minister to act upon the matter immediately and resolve the problems at the earliest.

POLITICAL PATRONAGE: Swami Agnivesh drew the attention of the President to the inaction of the Madhya Pradesh government, which was doing nothing to check the atrocities of the police and the private armies of industrialists of Bhilai. The state government was, in fact, encouraging them by providing them with political patronage, he added.

More than 20,000 skilled contract workers of Bhilai have been on an unprecedented 10-month strike for the abolition of contract labour in the engineering and chemical industries there. They have been agitating for their right to form a trade union and safer and more humane working conditions including an eight-hour work day.

Mr. Neogi says these workers have been employed for nearly 20 years, but not even five per cent of them are permanent. This, according to the Contract Labour Regulations and Abolition Act, is illegal, he adds.

While the workers of the Bhilai Steel Plant get a fair deal in terms of wages and working conditions,

Advani that in the name of 'Ram' alone the administration will not function, his party government in the state has to wake up soon."

इस्पात नगरी भिलाई ... जैसे स्थिति सामान्य हो रही है कर्फ्यू की भीमराव बांगडे आदि के खिलाफ भी

46

AK 9.7.92

किसी के पैसे छिने तो कही चोरी की

कर्फ्यू के दौरान पुलिसिया उत्पात से नागरिक खफा

जामुल। भिलाई पावर हाऊस रेल्वे स्टेशन पर गोली चलने के कारण पुरे भिलाई औ. नगरी के साथ जामुल क्षेत्र भी कर्फ्यु के साये मे घिर गया था। १ जुलाई को गोली कांड हुआ। २ जुलाई को सात बजे दिन को जिला प्रशासन ने कर्फ्यू की घोषणा पूरे क्षेत्र मे करवा दी।

जामुल व लेबर केम्प के व्यवसाईक क्षेत्रो मे कर्फ्यू लागू होने कि जानकारी नही थी इसलिए अपनी-अपनी दुकाने व होटल खोल रखे थे। लेकिन स्थानीय पुलिस के ए.एस. आई. बंजोर के उपद्रव व दूरव्यवहार के भय से अपनी होटल या किराना दूकान का स्टाल बिना बन्द किये जान लेकर भाग खड़े हुए थे।

कर्फ्यू के दौरान बटालियन के नौजवान नन्दनी रोड स्थित फोकटपारा जामुल मे चौधरी होटल का दरवाजा जबरदस्ती खोलवाकर होटल का सारा सामान लूट लिया तथा मालिक का बाक्स तोड़कर चश्मा भी निकाल लिया।

पुलिस जवानो के इस व्यवहार के कारण पूरे जामुल क्षेत्र मे दहशत फैल गई थी। तीन जुलाई का सुबह ९ बजे शिवपुरी रेल्वे व नहर के बीच दूध वालो को जबरदस्ती रोकर उनका दूध छीन कर पी गये तथा अंडा विक्रेता को रोकर उससे कुछ रूपया भी छीन लिया गया।

औद्योगिक नगरी छावनी चौक पर सिंह किराना दूकान से चार पैकिट बिस्कुट लूट लिए। जिस समय कर्फ्यू मे छूट दिया गया था उस समय भी पुलिस के जवान लूटपाट किया करते थे।

उसी छावनी चौक पर फल विक्रेता जो कि आम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका पूरा आम लूट लिया, नामदेव रेडियो दूकान लेबर कम्प वाले कि केवल इतना ही गलती थी कि वे अपने चाबी को दूकान पर छोड़कर अपनी स्कूटर को साईड मे खड़ा कर रहे थे कि जवानो की गाडी आई चार छः लाठी मार कर अपनी ट्रक मे डाल कर ले गये। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का आज दो वर्ष से लगा हुआ पन्डाल को स्थानीय जामुल पुलिस वाले उखाड़ कर ले गये।

जामुल क्षेत्र के नागरिको व दूकानदारो को कर्फ्यू किसको कहते है। मालूम नही था। इस लिए आम जनता को पुलिस का कोपभाजन बनना पड़ा १ जुलाई गोली कांड के बावजूद भी लाल हरा समर्थको के उत्साह मे कमी नही आई है। महौल शांत होने पर इनका आन्दोलन तेज होगा। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार २ ता. को नवागांव गांव मे पुलिस जवानो ने चौधरी होटल के साथ उस गांव का होटल भी लूट लिया। तथा पूर्व मालगुजारी तथा गांव वालो के उपर लाठियां भी चलाये।

कर्फ्यू का नाजायज फायदा इंटुक नेताओ ने उठाया ए.सी.सी. कम्पनी के मान्यता प्राप्त संस्था के महामंत्री जो कि कम्पनी का कृषि फार्म ठेका मे लिए है साग सब्जी के साथ-साथ घास भी बेचते है।

30 जून व १ जुलाईको इस फार्म मे पशु घास २ रु बोरा था। किन्तु जैसे ही इस इंटुक नेता को कर्फ्यू कि जानकारी मिली वैसे ही इन्होने २ रु. से बढ़ा कर ५ रु बोरा हरी घास बेचने लगे।

ए.सी.सी. कम्पनी के रिटायर कर्मचारी मारुती मराठो लेबर केम्प जामुल जो कि घरलू दूध के लिए गाय रखे है आज तीन ता. को अमर किरण से चर्चा करते हुए कहा तथा इस कृत्य की घोर निन्दा की दैनिक अमर किरण व नव भारत के हाकर को पुलिस वाले पीटे तथा उनका पेपर भी छीन लिए। इसलिए भय के कारण दो दिन जामुल मे अमर किरण व नव भारत पेपर का अभाव हो गया था।

किन्तु अब वितरण होने लगा। जामुल व लेबर कम्प के सैकड़ो नागरिको की पीटाई हो गई। पिटाई होने के कारण आम नागरिक कर्फ्यू से परिचित हो गये। चौधरी होटल मे लूटपाट की घटना का निन्दा करते हुए उचित मुआवजा का स्थानीय नेताओ व नागरिको ने मांग किया।

(51)

47

कार्यकर्ताओं ने दी है।

भाजपा अध्यक्ष को सौंपेंगे।

कर लिया है।

न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं- श्री के.के. श्रीवास्तव, श्री पी.एल. चतुर्वेदी (सी.जे.एम.), श्री अनिल गायकवाड़, श्री आर.आर. भारद्वाज, श्री बी.आर. वर्मा, श्रीमति मैत्रेयी माथुर एवं श्री जे.आर. कुजूर तथा श्रीराम राय।

उसके बाद में अनेक तरह के संदेह व्यक्त किया जा रहे हैं।

पास की बस्ती में रहते हैं। इसी प्रकार कई बस्तियों में भी गांजा की बिक्री जारी है।

कर्फ्यू की रात पुलिसिया आतंक, झोपड़ों के ताले तोड़े, मारपीट, २० गिरफ्तार

भिलाई नगर, ८ जुलाई। जामुल औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात कर्फ्यू के साये में गुरू घासीदास नगर की श्रमिक बस्ती एवं कैम्प-दो की श्रमिक बस्ती में पुलिसिया आतंक का वातावरण छाया रहा है। गुरू घासादीस नगर में कई झोपड़ियों के ताला बन्द दरवाजों को तोड़कर क्षति पहुंचाई गई। जामुल एवं छावनी पुलिस ने करीब बीस श्रमिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

जामुल श्रमिक बस्ती के दर्जनों नागरिकों ने बताया कि बीती रात गुरू घासीदास नगर की बस्ती में पुलिस दल द्वारा ७ जुलाई की देर रात धावा बोलकर श्री तिहारूराम साहू, गोरख नाथ, पुनाराम आदि को बंद झोपड़ियों के दरवाजे को तोड़कर पुलिस द्वारा घर में प्रवेश कर घर के भीतर रखे सामान को तितर बितर कर दिया। पंखा, खटिया आदि को तोड़ दिया।

इसी प्रकार छावनी पुलिस थानान्तर्गत की बस्ती कैम्प-दो में पुलिस दल द्वारा सात जुलाई की देर रात्रि पहुंचकर श्रमिकों के साथ मारपीट की। करीब दस श्रमिकों को छावनी थाना में लाकर बैठा दिया गया है। एवं श्रमिकों के परिवारजन ने भास्कर प्रतिनिधि को बताया कि हमारे परिवार के सदस्यों का छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद लोगों को परेशान किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि जिला प्रशासन द्वारा सात जुलाई से छावनी एवं सुपेला थानान्तर्गत बस्तियों में कर्फ्यू पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जामुल एवं भिलाई तीन थानान्तर्गत बस्तियों में दिन का कर्फ्यू समाप्त है। किन्तु उक्त दोनों थानान्तर्गत क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में रात दस बजे के बाद से प्रातः छः बजे तक कर्फ्यू जारी रहने की खबर मिली है। जामुल थानान्तर्गत श्रमिक बस्तियों में रात के कर्फ्यू का फायदा उठाकर पुलिसिया आतंक जमा कर रखा गया है। आम नागरिक भयग्रस्त हैं।

गोलीकांड : पटवा सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग

भोपाल, ८ जुलाई (वा)। जनता दल नेता रघु ठाकुर ने मध्यप्रदेश की इस्पात नगरी भिलाई में एक जुलाई को हुयी गोलीकांड की घटना को 'नरसंहार' की संज्ञा देते हुये मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा तथा दुर्ग भिलाई के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

उपनिरीक्षक की मौत, श्रमिक नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज, खोज जारी

भिलाई, ८ जुलाई (वा.)। इस्पात नगरी भिलाई में जहां एक जुलाई को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के रेल रोको आंदोलन के तहत भड़की हिंसा व पुलिस गोलीचालन में १७ लोगों के मारे जाने व कई घायल होने के बाद से दो थाना क्षेत्रों मे कर्फ्यु लागू है, अब स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है और अब वहां केवल रात का कर्फ्यु ही लागू है।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है कर्फ्यु की अवधि भी घटायी जा रही है और अब यह रात बारह बजे से सुबह पांच बजे तक के लिये ही लागू है।

इस बीच पुलिस ने भूमिगत हो गये मोर्चा नेताओं की खोज शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना के दिन मारे गये पुलिस उप निरीक्षक टी.के. सिंह की मृत्यु के सिलसिले में हत्या का प्रकरण कायम किया है। श्री सिंह की मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये पथराव के दौरान घायल होने से मृत्यु हो गयी थी।

पुलिस ने भा.दं.वि. की धारा १५१, १४६, १४७, ३५३, ३४१, ३४२, ३२३ और ३०७ के तहत मोर्चा नेता जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, नीलरंजन घोषाल और भीमराव बांगड़े आदि के खिलाफ भी मामले दर्ज किये हैं। जिला प्रशासन ने दक्षिण पूर्व रेल्वे के मंडल प्रबंधक से मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये रेल रोको आंदोलन के तहत रेल्वे संपत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा देने को कहा है।

घायल व्यक्ति की मौत

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति आज तीसरे दिन जीवन मृत्यु से संघर्ष करते अंततः चल बसा। पुलिस जांच जारी है।

मोर्चा नेता बागड़े गिरफ्तार

भिलाईनगर, ८ जुलाई। एक जुलाई को पावर हाऊस रेल्वे स्टेशन के समीप रेल यातायात रोको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता कामरेड भीमराव बागड़े को आज कोतवाली पुलिस ने सेक्टर नौ अस्पताल से छुट्टी लेते ही गिरफ्तार कर लिया।

आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले मोर्चा के अध्यक्ष कामरेड जनक लाल ठाकुर अनूप सिंह एवं एन. आर. घोषाल एक जुलाई से भूमिगत है। का. बागड़े को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोतवाली थाना में बैठाकर रखा गया है।

ज्ञात है कि एक जुलाई को मोर्चा के आन्दोलनकारी श्रमिकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की मांगों के समर्थन में रेल रोको अभियान के तहत रेल यातायात ठप्प कर दिया था। इसी दिन शाम पुलिस द्वारा अन्धाधुंध गोलीवार [illegible] सवा दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई श्रमिकों घायल हुए थे। पत्थराव बाजी में पुलिस की बेट से कामरेड भीमराव बागड़े भी घायल हुए थे। दो जुलाई से का. बागड़े सेक्टर नौ अस्पताल में भर्ती थे आज अस्पताल से छुट्टी होते ही कोतवाली पुलिस ने का. बागड़े को गिरफ्तार कर लिया।

(62)

48

M.P.C

RAIPUR, JULY 10 1992

Vora: More than 16 killed in police firing

From Our Correspondent

BHILAINAGAR: Former Chief Minister Mr. Motilal Vora met the wounded of the Bhilai Police firing Bhilai Sec 9 and at their homes. He also met the next of kin of the workers killed in the police firing. He took note of the scenario of the firing as reported to him by the affected persons of that unfortunate day's holocost.

Mr. Vora later speaking at press conference at Bhilai said the BJP govt erred in not dealing with the issue of labour demands and his cabinet should have found a solution for reaching an agreement between the CMM workers and the industrialists of Bhilai Industrial Complex. By deferring the solution the BJP Govt was caught on the wrong foot which led to this sorrowful episode of Police firing. This also unmasks the facist tactics of the BJP Govt. He said that for this episode the BJP Govt. and the Durg district officers are fully responsible. The officers were fully aware about the activities of the agitating workers and still the Dist Administration stood by as silent spectators and thus showed their incompetancy.

Mr. Vora said that though officialy the number of killed is shown as 16 but it is a fact that it was much above this figure. Many persons are said to be missing. No list of missing persons has been made. Until this is not done real facts will not come to surface. Mr. Vora said that the family of the

PATWA GOVT. & DIST ADMN. RESPONSIBLE

deceased persons should be given compensation of Rs. 2 lakhs each and the wounded should be given satisfactory compensation. He demanded that the BJP State Govt. be dismissed.

Mr. Vora said that Chhattisgarh which had been peaceful for a period of 35 to 40 years suddenly turned restive due to mishandling of the State Govt. and its unsympathatic anti labour Policies and pandering to whims of industrialists. He said the need of the hour is to solve the festering workers and industrialists dispute.

He alleged that the police administration had gone a wrong act by arresting and taking into custody wonded workers admitted at the hospital. He said that this was an unhuman behaviour on part of the Police.

गोलीकां

10.7.9

कुम्हार

चरौदा (बी.एम.वाय.) गोलीचालन के विरोध ए बेरोजगार पर लाठीचार्ज के वि कुम्हारी पूर्णत: बंद रहा। बंद क जिला बेरोजगार संघ के अ दीवान ने किया।

आज सुबह से महेश दीवान में सैकड़ों युवा इंकाई बेरोजगार ज में एकत्रित हो गये थे और अनु कर दुकान बंद कराते रहे व्यापारियों दुकान [illegible]। कहीं होटल, प उद्योगों में श्रमिकों की उपस्थिति का रही, कुछ रोलिंग मिलों में आज क

बागड़े समेत २५ घायल डिस्चार्ज करा बंदी

गोलीकांड के बाद छमुमो श्रमिकों पर पुलिस प्रताड़ना का दौर

AS 10.7.92

[illegible] संवाददाता

दुर्ग। भिलाई में गत एक जुलाई को गोली चालन की घटना के बाद छमुमो श्रमिकों के विरुद्ध पुलिस प्रताड़ना का एक नया दौर प्रारंभ हो गया है। गोली चालन की घटना के लिये छमुमो नेताओं को दोषी करार देकर उनके तमाम [illegible] मजदूरों को पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है। यहां तक कि गोली एवं लाठियों से घायल श्रमिकों को भी चिकित्सालयों से जबरिया डिस्चार्ज करवाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक छमुमो नेता [illegible] बागड़े सहित करीब २५ घायलों व अन्य १० मजदूरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एक जुलाई को पावर हाउस भिलाई में श्रमिकों एवं [illegible] द्वारा पुलिस पर कथित पथराव से भिलाई थाने के टी.आई. श्री टी.के. सिंह की मौत हो गयी थी। श्री सिंह की मौत के लिये पुलिस के [illegible] ने छमुमो नेताओं को अपराधी मानते हुए [illegible] [illegible] के विरुद्ध धारा ३०२ के तहत [illegible] अपराध पंजीबद्ध कर [illegible] में ही छमुमो [illegible] की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी थी। घटना के दूसरे दिन [illegible] द्वारा २२ छमुमो श्रमिक गिरफ्तार किये गये [illegible] के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिये [illegible] जारी किया गया था किंतु पुलिस को बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने में अभी तक सफलता नहीं पाई है।

घटना के दूसरे दिन [illegible] राज्य शासन और सरकार [illegible] [illegible] व अन्य [illegible] के नेताओं का यहां आगमन प्रारंभ हो गया [illegible] [illegible] तक गिरफ्तारी की कार्रवाई को [illegible] था। श्री [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] सेक्टर ९ चिकित्सालय में भर्ती छमुमो नेता [illegible] बागड़े को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। इसकी जानकारी श्री बागड़े ने श्री [illegible] को दे [illegible] भिलाई इस्पात संयंत्र के चिकित्सा अधिकारी डा. [illegible] निर्देश दिये थे कि वे पुलिस के दबाव पर किसी भी घायल को डिस्चार्ज न करें तथा जब तक वे चिकित्सालय में [illegible] रहें। किंतु श्री [illegible] के जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई और तेज कर दी [illegible] जुलाई को जिला चिकित्सालय के [illegible] घायल श्रमिकों को गिरफ्तार किया [illegible] [illegible] [illegible] के कारण चलने की हालत में भी नहीं थे। दूसरे दिन [illegible] जुलाई एवं [illegible] जुलाई को सेक्टर ९ चिकित्सालय में [illegible] को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें श्री [illegible] बागड़े [illegible] शामिल हैं। चिकित्सालय के डाक्टरों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया किंतु उनकी एक न सुनी गई। ज्ञातव्य है कि सेक्टर ९ चिकित्सालय में भर्ती सभी घायलों को गोली लगी है तथा [illegible] दूर से अभी चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं है। छमुमो का एक कार्यकर्ता [illegible] कुमार [illegible] सुबह गिरफ्तार किये गये [illegible] का हालचाल जानने [illegible] [illegible] को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार [illegible] श्रमिकों के विरुद्ध [illegible] तथा [illegible] [illegible] पंजीबद्ध कर उन्हें हिरासत में रखा गया है। श्रमिकों के परिजनों [illegible] उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री सुश्री मेधा पाटकर [illegible] [illegible] बताया कि [illegible] के गिरफ्तार [illegible] [illegible] कुमार को दूध पिलाने पहुंचे परिवार वालों को पुलिस ने दूध देने से भी मना कर दिया। उक्त मरीज को डाक्टरों ने अन्न अथवा कोई ठोस चीज खाने से मना किया है। उन्होंने कहा कि यह अमानवीयता की चरम सीमा है। मोर्चा के प्रवक्ता डा. पुण्य [illegible] ने घायल श्रमिकों की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करते हुये कहा है कि पुलिस घायलों व अन्य श्रमिकों को यातनाएं देने के उद्देश्य से गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के लिये वारंट व धारा की जानकारी मांगने पर भी नहीं दी जा रही है। [illegible] के [illegible] ने [illegible] बेरहम पिटाई कर उन्हें जमीन पर [illegible] घसीटा गया। उन्होंने यह भी बताया कि मोर्चा के वकील भी [illegible] अस्पताल से पुलिस द्वारा अपहरण किये गये घायलों के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने [illegible] [illegible] दूर रहने की धमकी देकर भगा दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती [illegible] व श्री राकेश शुक्ला ने घायलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने ए.डी.एम. श्री पांडे के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी किंतु श्री पांडे ने उनकी याचिकाओं को मंजूर करने से भी इंकार कर दिया।

IFTU de[illegible] of new i[illegible]

RAIPUR: Mr [illegible] Murth[illegible] General Secretary of Indi[illegible] Federation of Trade Unions a[illegible] also member of All India Joint A[illegible]tion Committee of Revolution[illegible] Workers Organisations tod[illegible] demanded the Centre to withdr[illegible] the new industrial policy. The [illegible] on Mukti Morcha members [illegible] due to new industrial policy. It [illegible] anti-workers and would [illegible] workers jobless if implemen[illegible] Mr Murthy made this observa[illegible] while speaking to newsme[illegible] a press conference here toda[illegible]

Mr Murthy and his team w[illegible] had made an extensive tou[illegible] Bhilai told newsmen that killi[illegible] CMM workers on July first [illegible] part of a well established fa[illegible] the conspiracy of BJP [illegible] dustrialists axis.

He said, a protest day [illegible] India Joint Action Committ[illegible] Revolutionary workers orga[illegible]tions, in support of CMM's [illegible]gle would be observed on Ju[illegible]

Workers in the Bhilai Ind[illegible] area have been agitating [illegible] last two years and the de[illegible] were limited to mere imple[illegible]tion of existing labour a[illegible]dustrial laws of the land [illegible]

नंदिता हक्सर का कथन

गोलीकाण्ड में मृत लोगों के शव बस्तियों में मिले

रायपुर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आंदोलन समर्थक मोर्चा तथा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती नंदिता हक्सर ने आज यहां आरोप लगाया कि भिलाई गोलीकांड में घायल श्रमिकों को अस्पतालों से लाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि [illegible] पावरहाउस के पास फायरिंग की घटना के बाद शव नहीं मिले, बल्कि आसपास की बस्तियों में श्रमिकों के शव मिले हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि पुलिस द्वारा बस्तियों में घुसकर गोली चलाई गई है।

श्रीमती हक्सर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आंदोलन समर्थक मोर्चा एवं दिल्ली, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की टीम ने भिलाई में पिछले [illegible] जुलाई को घटना की जांच के बाद उक्त निष्कर्ष निकाला है। इस टीम में उनके अलावा श्री पी. पाल, डॉ. वंदना मिश्रा, श्री सुधन्वा आदि थे, जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुये हैं। इस टीम ने दुर्ग-भिलाई के विभिन्न गांवों का दौरा किया। टीम ने यह पाया है कि [illegible] [illegible]

उन्होंने बताया कि [illegible] बालक एक व्यक्ति की लाश [illegible] में मिली है। इसी प्रकार मधुकर चौधरी नामक एक अन्य व्यक्ति का शव, रेलवे ट्रैक में [illegible] पी. एम. [illegible] लिए दाखिल [illegible] किया है।

श्रीमती हक्सर का कहना है कि [illegible] जुलाई के [illegible] को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस अब नहीं बता रही है कि उन पर क्या आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि [illegible] की घटना में १९ लोगों के मारे जाने की सूचना है, लेकिन संख्या और भी हो सकती है [illegible] लापता है। घायलों को अस्पताल से [illegible] के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। [illegible] कि १४ घायल [illegible] जिनकी हालत [illegible] सेक्टर-९ अस्पताल [illegible] के बाद अकारण गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन खत्म करने सरकार का यही रवैया रहा तो आंदोलन और तेज होगा। श्रमिक पिछले २० माह से श्रम कानून की सीमा के भीतर अपने हक [illegible] के लिये लड़ रहे हैं। [illegible] और श्रमिक [illegible] है कि [illegible] इसलिए [illegible] चाहिए। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की सभी जायज मांगों को [illegible] के अलावा निकाले गये श्रमिकों को नौकरी में वापस करना चाहिए। श्रीमती हक्सर ने पी.यू.सी.एल. के राजेन्द्र सायल को तत्काल रिहा करने की मांग की है।

गोलीकांड के लिए प्रशासन पूर्णतया दोषी: उमा भारती

भिलाई नगर (नि.सं.)। भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुश्री उमाभारती ने भिलाई में पुलिस द्वारा मजदूरों पर किये गये गोली चालन की घटना के लिये प्रशासन व संबंधित विभाग को दोषी बताते हुये कहा है कि इस दुखद स्थिति को टाला जा सकता। मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के साथ राजकीय विमान से भिलाई पहुंची थी और उनके साथ ही वापस चली गयी।

सुश्री भारती ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुये घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुये कहा कि इसके लिये मुझसे व्यक्तिगत स्तर पर जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगी तथा शीघ्र ही पुनः भिलाई आऊंगी। मेरी संवेदना इस हादसे के दौरान मृतक गरीब मजदूरों [illegible] नागरिकों व [illegible] पुलिस [illegible] के प्रति भी है [illegible]

उन्होंने कहा कि इस घटना के लिये पूरी तरह से जवाबदार प्रशासन तो है ही साथ ही संबंधित विभाग व समस्या से संबंधित निचले स्तर से लेकर उच्चस्तर के अधिकारी भी हैं जिन्होंने पिछले २० वर्षों से आंदोलित मजदूरों की समस्या को लटकाये रखा था। घटना के दिन भी प्रशासनिक अधिकारी सूझबूझ व समझदारी से काम लेते, तो ये दुखद स्थिति को टाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया नतीजतन इतने लोगों की जानें गयी।

सुश्री भारती ने कहा कि इस घटना के दौरान जितनी मौतें हुई उसकी भरपाई तो हो नहीं हो सकता लेकिन [illegible] की रिपोर्ट में दोषी लोगों को बख्शा नहीं जायेगा।

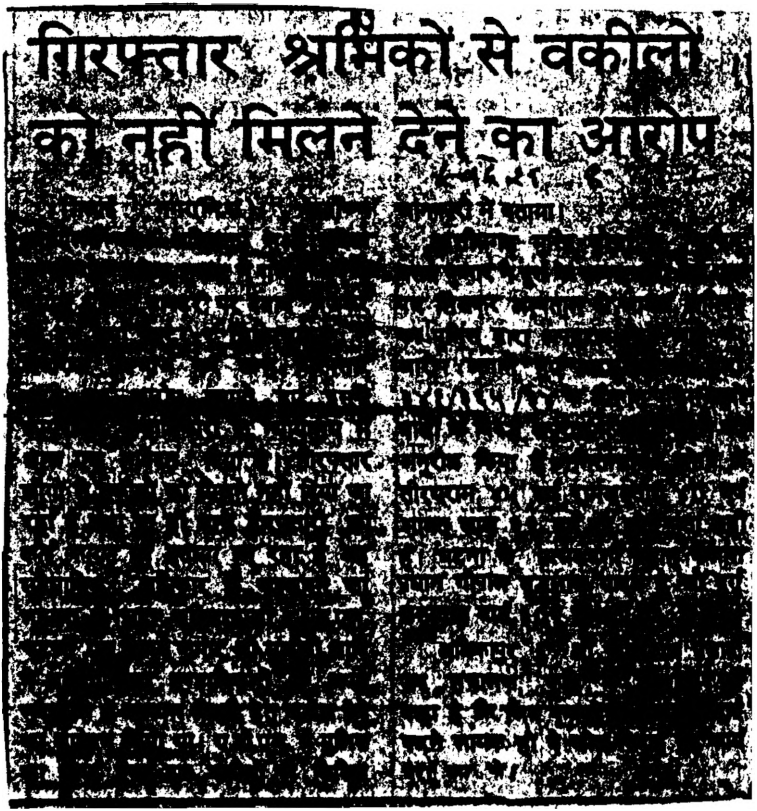
गिरफ्तार श्रमिकों से वकीलों
को नहीं मिलने देने का आरोप

53

A.K. 8.7.92

गोलीकांड में घायल मजदूरों का अपहरण ?

दुर्ग। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नई दिल्ली स्थित समर्थक दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुश्री नंदिता हक्सर एवं राकेश शुक्ला के नेतृत्व में दुर्ग जिला चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सालय का दौरा करने के बाद यह आरोप लगाया कि १ जुलाई को भिलाई गोलीकांड में घायल मजदूरों को ६ जुलाई की सुबह पुलिस द्वारा अगुवा कर लिया गया।

अधिवक्ता सुश्री नंदिता हक्सर एवं राकेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों अस्पताल के करीब १५ घायल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति दिलाने के बहाने अगवा कर लिया।

वार्ड नं. १०२ में भर्ती घायल मजदूर कैलाश प्रधान गोपाल एवं बुद्धलाल इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी है।

मुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मजदूरों को अगुवा करने वालों में एक तीन स्टार पुलिस थाना वाला दो दो स्टार वाले तथा एक सिपाही जिसका नं ११४ है सहित करीब ५-६ पुलिस कर्मी थे।

बताया जाता है कि आज सुबह १२ बजे जब मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने साथियों की तलाश की तब पता चला कि उन्हें भट्टी थाना भिलाई ले जाया गया है। लेकिन तोरथ राम अग्रवाल कर्मचंद ४५ वर्ष, राम अवतार आ. रामलाल ४० वर्ष, सुचकत लाला वल्द सेक २९ वर्ष, सभी वार्ड नं. १०२ में थे। इन्हें पुलिसकर्मियों ने गुप्त तरीके से अपहृत कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नंदिता हक्सर एवं राकेश शुक्ला ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं द्वय ने कहा कि अपने मुवक्किल से मिलना वकील का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी का भी कारण नहीं बता रही।

आज कार्यपालन दण्डाधिकारी दुर्ग के समक्ष एक आवेदन भी दिया गया। इस आवेदन में कहा गया कि गिरफ्तार बस्तियों को अधिवक्ताओं से मिलने की इजाजत दी, विरुद्ध आरोप की जानकारी तथा प्रकरण का रिकार्ड दिया जाय।

एस.डी.एम. दुर्ग ने आवेदन पर गौर करने के बाद कहा कि त्वरित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक पुलिस सलाह न कर ली जाय?

गौर तलब बात यह है कि मुक्ति मोर्चा के सारे मामले येन-केन प्रकारेण अब पुलिस तय कर रही है। मजदूरों को अगुवा करने की योजना की पुलिस की समझ का परिणाम है। प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी को अभी इस बात की भनक ही नहीं है?

भिलाई गोलीकाड के विरोध मे धरना

भोपाल (भा.)। दलित मुक्ति मोर्चा ने भिलाई मे पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के श्रमिको पर गोली चालन के विरोध मे आज यहां एक दिवसीय धरना दिया।

मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने बाद मे राज्यपाल कुवंर महमूद अली खां को अपनी मांगों के साथ में एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में भिलाई गोली चालन के लिये दुर्ग जिला प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने मृतकों के परिवारों को दो दो लाख एवं घायलों को ५०-५० हजार रुपये मुआवजा देने अतिक्रमण विरोधी मुहिम

काम बंद करने और पटवा सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग शामिल है।

कर्फ्यू के दौरान पुलिस लूट[illegible] जारी, अनेक शिकायतें

[illegible] नगर में पुलिस द्वारा लूट मचाने का सिलसिला जारी रहा, इसकी पुष्टि होती जा रही है। सुभाष सब्जी मंडी चौक बाजार के व्यवसायियों ने आज एक हस्ताक्षरयुक्त बयान जारी कर बताया है कि उक्त क्षेत्र के चार रेडीमेड व्यवसायियों से पुलिस ने लगभग [illegible] रुपये के कपड़े लूट ली है। उन्होंने प्रदेश सरकार से तत्काल इस घटना की समुचित जाँच कर पीड़ित व्यवसायियों को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

उक्त प्रभावित व्यवसायियों ने बयान जारी कर बताया है कि वे सुभाष सब्जी मंडी [illegible] चौक बाजार के आसपास के क्षेत्र में पिछले लगभग १० वर्षों से रेडीमेड कपड़ों का विक्रय व्यवसाय करते आ रहे हैं। विगत एक [illegible] पुलिस प्रशासन के [illegible] हुई गोलीकांड की घटना के बाद [illegible] जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया तो इससे घबराकर उन्होंने अपनी-अपनी दुकानों का शटर का ताला नहीं खोलकर सुरक्षित ठिकानों में छिप गए।

इसी रात में [illegible] बजे कुछ पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और दुकानों के रेडीमेड कपड़े, पान की दुकान से बीड़ी सिगरेट आदि लूटे। उनके [illegible] से चार [illegible] पान दुकानें और होटलें भी प्रभावित हुईं। [illegible] स्थानीय [illegible] पुष्टि करता है। उन्होंने बताया कि [illegible] प्रभावित व्यवसायी [illegible] रेडीमेड कपड़ा रु [illegible] रामविलास मौर्य (१०,००० रु. के कपड़े) एवं [illegible] (१४,७०० रु.) [illegible] (१४,००० रु.) [illegible] (१०,००० रु.) [illegible] दुकान [illegible] गुप्ता (२०,००० रु.) शामिल है।

[illegible] विधायक द्वारा गोलीकांड की निंदा

[illegible]। [illegible] के [illegible] विधायक श्री [illegible] पटेल (पूर्व मंत्री) ने भिलाई गोली कांड की तीव्र निंदा करते हुए इसे भाजपा सरकार की अनैतिक पूर्ण कार्यवाही बताया है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री श्री कैलाश जोशी ने पूर्व में इनकी सभी मांगों को पूर्ण करने की बात कही थी और आज यही भी गोली कांड का कारण मजदूरी की ज्यादती बता रहे हैं।

श्री पटेल ने कहा है कि इस गोली कांड की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए प्रदेश के भाजपा सरकार को तत्काल इस्तीफा सौंप देना चाहिये।

द्वारा संचालित मजदूर आंदोलन मोर्चा नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या के पश्चात भी अपना धैर्य नहीं खोया तथा सीधी कार्यवाही से हटकर प्रजातांत्रिक तरीके से अपने संघर्ष का मूर्त देते रहे। इसी क्रम में कोरी उत्तेजना भी प्रारंभ हुई तथा अन्य श्रमिकों को कारखानों में प्रवेश से रोकने के प्रयास में आतंकित रूप तथा प्रभावपूर्ण माहौल निर्मित हुआ उस समय व्यापारिक संगठनों, एवं औद्योगिक संगठनों तथा श्रमिकों एवं शांतिप्रिय नागरिकों ने भिलाई से मौन जुलूस निकालकर दुर्ग जिलाधीश को भिलाई में शांति व्यवस्था एवं व्यवस्थित जीवन की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा था।

उक्ताशय के विचार जवाहर मार्केट भिलाई के व्यवसायी श्री [illegible] टावरी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि हजारों नागरिकों के मौन जुलूस को जिला प्रशासन ने जितनी गंभीरता से लेना था नहीं लिया तथा यही लापरवाही का परिणाम इस नगर को गोलीकांड के रूप में भुगतना पड़ रहा है। मौन जुलुस के पश्चात उस समय औद्योगिक क्षेत्र को तथा प्रशासन को आगाह भी किया गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।

दो माह पूर्व ही श्री बाबूलाल गौर मंत्री मध्यप्रदेश की सौंदर्य भावना में प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना [illegible]पन के तोड़फोड़ की कार्यवाही

जिला प्रशासन के अनदेखी का परिणाम

गोलीकांड और निर्दोषों की मौत

की तथा अभी तक पूर्ण रूपेण विस्थापित लोगों को व्यवस्थित नहीं किया गया उसके धूल चाटी में [illegible] किकने लगी तथा कुछ सत्ता के दलालों की सौदेबाजी ने शासन के खिलाफ भी आक्रोश पैदा कर दिया जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला जिस समय पुलिस व प्रशासन साम दंड भेद से धरने पर बैठे मजदूर भाईयों को हटाना चाहा उस समय नागरिकों ने अपना गुस्सा आंदोलनकारियों को साथ लेकर पुलिस को एक बार छावनी थाने के अंदर भागने को मजबूर कर दिया जिसके परिणाम में जो स्वाभाविक था वही हुआ भीषण गोलीकांड। हथियारों से लैस लाईसेंस युक्त अधिकृत व्यक्ति निहत्थों से कैसे हार मानते तथा गोलीबारी के आक्रमण से आंदोलन कारियों को तितर बितर करने में सफल हो सके।

दूसरा पक्ष यह भी है कि मजदूर लीडर तो स्वतः सामने नहीं रहे निर्दोष नागरिक मारे गए। नेता कोई नहीं मरा। एक नेता मोहन मैय्या जरूर घायल हुए लाठियाँ खाईं यहां मोहन मैय्या का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि उद्योग मंत्री श्री कैलाश जोशी से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की [illegible] सांसद ने ही पहल की थी [illegible] क्रम भी प्रारंभ हुआ।

उन्होंने कहा कि जो होना था हो गया अब अवसरवादी नेता व मौसमी नेता आलोचनाओं के साथ उबाल करेंगे। यही एक विचार आता है। छत्तीसगढ़ के अनेकों सांसद कांग्रेस से चुनकर आये हैं। [illegible] में [illegible] की सरकार का [illegible] हो लेकिन [illegible] सांसद [illegible] श्री [illegible] तुरत, सांसद पवन दीवान, उस समय कहां थे जब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था? केन्द्र सरकार की [illegible] पहल हो जाती तो निश्चित ही यह दिन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि [illegible] की कार्यवाही के [illegible] कानून के विपरीत [illegible] उसी समय यदि गंभीर होकर कुछ सक्रियता इस क्षेत्र के सांसद करते तो आज वातावरण दूसरा ही होता। लेकिन मन में तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का विरोध था। अतएव समर्थन का प्रश्न ही नहीं होता।

उन्होंने कहा कि [illegible] राजनैतिक [illegible] भाजपा का [illegible] [illegible] [illegible] आंदोलनकारियों को सामान्य जीवन से कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। केवल मुट्ठीभर नेता आगे हैं उनके पीछे पीछे अपना चेहरा दिखलाते चले जाते हैं। अतएव इन्हीं कारणों से पुलिस व्यवस्था या शासन अचूक हो चुकी है। जो [illegible] कानूनी ही क्यों न हो कोई परवाह नहीं।

पुलिस प्रशासन की निंदा करते हुये उन्होंने कहा कि बुलडोजर के [illegible] में [illegible] की हत्या हो गई जिला पुलिस अधीक्षक से [illegible] की गया [illegible] एक ही [illegible] में लिखा है कि बुलडोजर के [illegible] से [illegible] की मृत्यु हुई किसी और पेपर में तो नहीं नहीं लिखा है और [illegible] हो तो [illegible]।

श्री टावरी ने कहा कि क्या सचमुच में किसी की मृत्यु के जांच के बारे में इस प्रकार से उत्तर देना एक [illegible] के कार्य की महत्ता के [illegible] नहीं है [illegible] आज तो [illegible] है कि [illegible] जाय [illegible] गया।

प्रथम पेज से जारी

[illegible]टना से भाजपा खफा

श्री [illegible] के [illegible] के मृतकों एवं घायलों के लिये घोषित मुआवजा राशि वास्तव में अपर्याप्त है। [illegible] के मूल [illegible] का [illegible] उन्हें दी गयी [illegible] चाहिये। [illegible] के [illegible] कर्फ्यू [illegible] नहीं [illegible] के निर्देश पर [illegible] दिखने वाले [illegible] पीटकर घायल किया। [illegible] दौरान राष्ट्र के [illegible] की वर्दी का दुरुपयोग [illegible] के रूप [illegible] उपयोग किया। [illegible] देती कांग्रेस पार्टी [illegible] पर [illegible] से कर्फ्यू हटा दी गई, यह गोलीकाण्ड एक दुर्भाग्य जनक घटना है। उन्होंने यह भी कहा कि गोलीकाण्ड में गंभीर रूप से घायल हुए श्रमिकों के घाव अभी भी नहीं भरे और वे पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हुए हैं।

[illegible] कि पुलिस [illegible] चिकित्सों पर अनैतिक [illegible] डालकर घायलों को [illegible] गिरफ्तार कर रही है। यह [illegible] अनुचित है। घायलों के स्वस्थ होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहि[illegible] पुलिस प्रशासन निर्दोषों पर कहर [illegible] रही है, सरकार उद्योगपति [illegible] मजदूरों के मध्य सामंजस्य स्था[illegible] करने में असफल रही। आज [illegible] राज्य सरकार की तरफ से श्रमि[illegible] के समस्या के संबंध में उचित [illegible] होने की कोई उम्मीद नहीं की [illegible] सकती पुलिस की करनी और [illegible] के मध्य काफी फर्क होना [illegible] है।

उन्होंने आगे कहा [illegible] अस्पताल में गोलीकाण्ड के घायलों [illegible] मुलाकात के दौरान उन्हें स्वयं [illegible] पुलिस घायलों से भी अमानवीय [illegible] से पेश आ रही है। निरीक्षण [illegible] दौरान आज एक को गिरफ्तार [illegible] घायलों के बयान के अनुसार ६ [illegible] का ६ से ७ घायलों को अस्पता[illegible] गिरफ्तार कर पुलिस ले गई।

पत्रकार वार्ता में जिला [illegible] कमेटी के अध्यक्ष श्री [illegible] चन्द्राकर कांग्रेस के मंत्री श्री [illegible] लाल गुप्ता, श्री पवन चौबे श्री [illegible] चंद जैन मोती बाफना, श्री [illegible] पूर्ती, सहित भारी संख्या में [illegible] एवं युवक कांग्रेस के [illegible] उपस्थित [illegible]।

प्रकाशक एवं मुद्रक श्री एस. [illegible] द्वारा एस.के. [illegible] न्यूज प्रा. लि. दुर्ग के [illegible] से मुद्रित [illegible] दुर्ग से प्रकाशित, सम्पादक एस. एस. [illegible], फोन, सम्पादकीय २० [illegible]

पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई-श्यामा

6792 नवभारत

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जनहित में है।

प्रतिपक्ष के नेता श्री श्यामाचरण शुक्ल ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुये कहा कि यह घटना प्रशासन की अक्षमता का नतीजा है। यदि शासन व प्रशासन चाहता तो घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री से हुई चर्चा के पश्चात सभी बातें आसानी से सुलझाई जा सकती थी किन्तु इस दिशा में बाद में कोई प्रयास नहीं किये गये। उन्होंने आरोप लगाते हुये कहा कि पुलिस ने घटना स्थल से २ कि.मी. तक के क्षेत्र में जाकर गोलियां चलाई और निर्दोष लोगों को पीटा और आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के बाद भी पुलिस द्वारा ज्यादती जारी है। नागरिकों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा कारखानों में काम पर जाने वाले लोगों को पुलिस द्वारा मारा पीटा जा रहा है।

श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की बर्खास्तगी की विभिन्न मांगों में से अब एक मांग यह भी है। उन्होंने कहा कि मोर्चा की मांगों के संबंध में चर्चा कर सार्थक प्रयास किये जायेंगे, वहीं शासन को भी समस्या का ठोस हल निकालकर शांति स्थापित करने हेतु कटु उठना चाहिये। उन्होंने कहा कि सही तथ्य जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे किन्तु क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सजगता पूर्वक निगरानी रखनी होगी ताकि जांच निष्पक्षता पूर्वक हो सके।

दुर्ग कार्यालय से प्राप्त समाचार के अनुसार श्री श्यामाचरण शुक्ल व श्री दिग्विजय सिंह ने दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि प्रदेश में जहां-जहां भी आंदोलन हुये, भाजपा सरकार ने उन्हें लाठी गोली से कुचलने का प्रयास किया। नेता द्वय पुलिस फायरिंग में घायल लोगों से भेंट करने व घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उक्त विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने न तो दुर्घटना को गंभीरता से लिया और न ही इस बात का प्रयास किया गया कि गंभीर घटना हो सकती है, उसे रोका जाये, श्री श्यामाचरण शुक्ल ने कहा कि आंदोलनरत श्रमिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई क्योंकि पुलिस नियंत्रण में नहीं थी। मजदूरों व सड़क चलते राहगीरों पर २-३ कि.मी. तक गोलियां चलाई गई। इस घटना के लिये भाजपा सरकार पूर्णतः दोषी है।

उन्होंने भिलाई में कही गई बातों को दोहराते हुये कहाकि प्रदेश की फासिस्टवादी मनोवृत्ति वाली भाजपा सरकार ने उद्योगों के छंटनीशुदा मजदूरों के साथ भी आज तक न्याय नहीं किया। श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं में आपसी तालमेल न होने व पार्टी की गुटीय लड़ाई के कारण ही वार्ता का निर्णय नहीं लिया जा सका। यही कारण है कि घटना के बाद श्री पटवा ने घड़ियाली आंसू बहाकर श्रम मंत्री श्री भोजवानी को भिलाई भेजा व स्वयं दिल्ली रवाना हो गये। उन्होंने न्यायिक जांच में घटना क्यों घटित हुई, इस मुख्य मुद्दे को जोड़ने की मांग की। उन्होंने कहाकि अयोध्या कांड में मृतक भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को ५०-५० हजार रू. का मुआवजा दिया गया था, जबकि भिलाई की घटना में मृतकों को मात्र १०-१० हजार रू. क्यों दिया गया जबकि दोनों जगह भाजपा की सरकार है।

आज उक्त नेता द्वय मृतक उपनिरीक्षक स्व. टी.के. सिंह के निवास पर भी गये और उनके परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर विधायक सर्व श्री झुमुकलाल भेड़िया, रविन्द्र चौबे, जागेश्वर साहू तथा इंका नेता कनक तिवारी, वासुदेव चंद्राकर, रामानुजलाल यादव, भजन सिंह निरंकारी, फूलचंद बाफना सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे।

(61)

भिलाई गोलीकांड, प्रशासनिक कार्रवाई पर अनेक प्रश्नचिन्ह?

रेलपातों पर आंदोलनरत श्रमिकों के साथ ही जी.ई. रोड व बाजारों पर बंदूकें गरजीं

भिलाई, १३ जुलाई। एक जुलाई को यहां घटित गोलीकांड में मृतकों की संख्या क्या कम हो सकती थी? एवं जिला प्रशासन को गोलीचालन के पूर्व वहां आसपास एकत्रित भीड़ को खदेड़ देने का प्रयास नहीं करना था? इन जैसे अनेक सवाल आज लगभग सभी बुद्धिजीवियों के मस्तिष्क में कौंध रहा है। ये मुद्दे गोलीकांड के आलोचकों के मध्य सर्वाधिक बहस के विषय बन गए हैं। वहीं यह सवाल भी है कि गोलीचालन में उस दौरान फैली भारी भीड़ के कारण ही क्या बहुत अधिक लोगों की जानें नहीं चली गई?

ज्ञातव्य रहे कि उक्त तारीख को पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आव्हान पर पावर हाऊस रेलवे स्टेशन से कुछ आगे पश्चिम की ओर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक रेल रोको आंदोलन पर बैठे आंदोलनकारी श्रमिकों को रेलपातों से हटाकर वहां रेल यातायात व्यवस्थित करने के मुख्य उद्देश्य से किए गए गोलीचालन में शासकीय सूत्रों के अनुसार १५ लोग मारे गए हैं। गैर शासकीय सूत्रों के अनुसार यह आंकड़ा तकरीबन ५० के आसपास है। जिनमें मरने वालों में अनेक ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका छमुमो और उसके आंदोलन से कभी किसी तरह का नाता नहीं रहा।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस द्वारा गोलीबारी छह बजने के लगभग आठ मिनट पूर्व से प्रारंभ कर दी गई। उस समय तक घटनास्थल के आसपास जी.ई. रोड पर आवागमन पूरी तरह से अवरूद्ध नहीं था। लोग वहां से पैदल, साइकिल तथा अन्य दूसरे वाहनों से आ-जा रहे थे। उसी तरह सिक्स ट्री मार्ग पर भी यातायात बंद नहीं था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आंदोलनरत श्रमिक रेलपातों पर बैठे हुए थे। वहीं समीपवर्ती क्षेत्रों महात्मा गांधी मार्केट, जवाहर मार्केट, नंदिनी रोड, पावर हाऊस चौक, खुर्सीपार, न्यू बसंत सिनेमा गृह एवं सेक्टर-एक के आसपास बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित थी।

कौतुहल से माहौल को परखने और उस पर अपनी तात्कालिक खट्टी-मीठी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली इस भीड़ में शामिल जनसमूहों की संख्या पांच से सात हजार तक पहुंच रही थी।

पुलिस द्वारा फायरिंग प्रारंभ कर दी गई थी उस समय दूर से उसकी आवाज सुनने वाले लोग सशंकित जैसे थे। प्रतिक्रियाएं देखने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें संभावना थी कि फायरिंग आदि से उत्पन्न होने वाली आवाज हवाई फायरिंग अथवा पटाखे छूटने की होगी। ऐसे लोगों ने यह भी शंका प्रकट की थी कि उसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों के द्वारा विजय टाकीज के सामने राज्य परिवहन निगम की एक बस को लगा दी गई आग में उसके टायरों के फटने की आवाज होगी।

गोली चालन के पूर्व स्थानीय प्रशासन ने पावर हाऊस जी.ई. रोड तथा उसके आसपास क्षेत्रों में उपस्थित भीड़ को खदेड़ने के लिए क्या प्रयास किए थे यह अस्पष्ट है। लेकिन जानकारों का कहना है कि पुलिस द्वारा गोलीचालन शुरू हो जाने के पश्चात भी उन क्षेत्रों में भारी भीड़ फैली हुई थी। जी.ई. रोड पर आकर गोलीचालन प्रारंभ किए जाने के बाद ये लोग भागने लगे थे। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में भागने वाले कुछ लोगों को भी गोलियां लगीं। इससे हवाइयों को भगदड़ में शामिल कुछ लोग उठकर भी भागे।

गोलीकांड के आलोचकों की इस संबंध में तीखी प्रतिक्रिया के साथ यह सवाल भी है कि जैसे कि जिला प्रशासन का कहना है कि रेल यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शुरू की गई फायरिंग का मुंह जी.ई. रोड पर खड़ी भीड़ की ओर करने की क्या वजह थी। क्या वास्तव में यह आवश्यक था? आलोचकों ने सरकार से इसके विशेष जांच की मांग की है। वहीं संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा गोली चालन के आसपास मौजूद भीड़ को किसी भी प्रकार खदेड़ दिया गया होता तो अनेक निर्दोष लोगों की जानें नहीं गई होती। इस दौरान पुलिस द्वारा अति उत्साह में जनता के दमन को नियंत्रित करना था।

दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि यदि प्रशासन बाहरी भीड़ को हटाने में सफलता प्राप्त कर लेती तो उसके बाद शायद ही यह गोली चालन की नौबत रहती।

गोलीकांड में मारे गये लोगों की शिनाख्त भी [illegible]

[illegible] पुलिस [illegible] के बाद भी [illegible] और न ही उनका [illegible] का पता [illegible]

असामाजिक तत्वों द्वारा देशी कट्टे के उपयोग की संभावना

गोलीकांड, कुछ घायलों के शरीर से छर्रे भी निकले

(दुर्ग कार्यालय द्वारा)

दुर्ग. एक जुलाई को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के [illegible] पुलिस फायरिंग से कुछ घायलों के शरीर से छर्रे निकले हैं। [illegible] श्री विद्याचरण शुक्ल को [illegible] के चिकित्सकों ने छर्रे और [illegible] दिखाई थी, [illegible] का कहना था कि पुलिस की बंदूक से छर्रे नहीं निकलते। यह अनुसंधान का विषय है कि पुलिस फायरिंग के दौरान १२ बोर के देशी कट्टे का भी उपयोग किया गया है। इस संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि छर्रे यदि [illegible] में लग जाए तो घातक नहीं होता, किन्तु संवेदनशील हिस्से में लगने से मौत हो सकती है। पुलिस का यह भी कहना है कि पुलिस फायरिंग से बारूद भरे बुलेट निकलते हैं, छर्रे निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केन्द्रीय [illegible] रसायन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल जब जिला चिकित्सालय में घायलों से मिल रहे थे, तब डॉक्टरों ने दो अलग-अलग शीशी दिखाई थी, जिनमें से एक में बुलेट और दूसरे में छर्रे थे, जो घायल या मृत श्रमिकों के शरीर से निकाले गये थे।

इस संबंध में अनुमान लगाया जा रहा है कि छमुमो श्रमिकों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गये थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर देशी कट्टे उपयोग किया हो चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के कब्जे में है तथा अधिकांश घायलों की अस्पताल से छुट्टी होने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो पायी है कि कितने लोगों को छर्रे लगे है। दूसरी ओर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने लाठी चार्ज, अश्रुगैस के बाद [illegible] बंदूक का उपयोग करती है और [illegible] भरी [illegible] इस बात [illegible] नहीं हो पायी है कि पुलिस ने [illegible] का प्रयोग किया अथवा नहीं।

पूर्व मुख्यमंत्री व इंका प्रवक्ता को बंदियों से मिलने नहीं दिया गया

दुर्ग (समवेत शिखर)। आज जिला जेल में मोर्चा के गिरफ्तार व्यक्तियों से भेंट करने गए सांसद चंदूलाल चंद्राकर एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री वोरा को जेल के अधिकारियों की अनुमति के अभाव में बंदियों से मिलने नहीं दिया गया।

प्रदेश इंका द्वारा भिलाई गोलीचालन से संबंधित गठित जांच समिति के अध्यक्ष एवं सांसद चंदूलाल चंद्राकर, पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने स्थानीय जिला चिकित्सालय में घायलों से मुलाकात की।

इसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से भेंट करने जिला जेल पहुंचे। जहां जेल के अधिकारियों ने बताया कि २ जुलाई को २२ आंदोलनकारी महिलाओं को धारा १५१ एवं १०७, ११६ के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लेकिन जेल में क्षमता नहीं होने के कारण उसमें से १९ महिलाओं को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया और इन महिलाओं के रिहाई के आदेश भी हो गए है तथा वर्तमान में बाद में गिरफ्तार किए गए ७४ पुरुष एवं ७ महिलाएं अभी भी जेल में है। इसमें एक दो वर्ष का बच्चा भी है।

इस अवसर पर जेल में बंदी बनाए गए व्यक्तियों एवं महिलाओं से नेताद्वय ने भेंट करने की इच्छा प्रकट की। तो जेल अधीक्षक ने अनुमति के लिए आधे घंटे तक उच्चाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया। फलतः अनुमति नहीं मिलने के कारण जेल के अधिकारियों ने नेताद्वय को बंदियों से मिलने देने के लिए इंकार कर दिया।

इस अवसर पर श्री चंद्राकर एवं श्री वोरा के साथ विधायक [illegible] साहू, जिला इंका के महामंत्री श्री बदरुद्दीन कुरैशी, इंका नेता श्री कनक तिवारी सहित कई इंका कार्यकर्ता उपस्थित थे।

63

Govt. destroying firing evidence'

BHILAINAGAR:- All India Congress (I) Committee spokesman Mr Chandulal Chandrakar advised the Chatisgarh Mukti Morcha to continue their agitation peacefully and not to seek any coperation from organisations like Peolie's Union for Civil Liberties. He demanded recruit -In Bhilai Steel plant ment for the dependents of thosse who were killed in July 1 firing in Bhilai. He alleged that the districtadminstration was not cooperating with the factfinding team of Madhya Pradesh Congress Committee He said the State Government was destroying evidence of the police ffiring in Bhilai on July 1.

Talking to newsmen here Mr Chandrakar said the firing could have been averted if appropriate action was taken in time to solve the demands of workers. He charged the State Government with not cooperating with the Congress (I) fact-finding committee looking into the incident though he had written a letter to the distnct administration in this regard. Mr Chandrakar said he and the former chief Minister Mr Motilal Vora were not allowed by the Jail Superintendent to meet the arrested Morcha workers lodged in Durg jail. Even the Durg hospital authorities were not giving details of the injured in firing, he added.

Mr Chandulal Chandrakar has alleged that the State Government was destroying evidence of the police firing on the Chhattisgarh Mukti Morcha workers here on July one. Why extra- ordinary delay was being made in the appointment of the judge for the judicial injury?, He asked. It may be recalled that the State Government had ordered judicial inquiry into the police firing within few hours after the incident, which claimed 17 lives.

Mr Chandrakar demanded that the Bhilai Steel Plant should offer job to at least one member of the family of each deceased. The Congress Member of Parliament from Durg, said he would endeavour that compromise was reached between the industryalosts and morcha workers in a peaceful manner. At the same time, he said, the Morcha should continue its agitation peacefully and should hot be influencedor take any cooperation from organisations like People's Union for Civil Liberties (PUCL). Meanwhile, Mr Surendra Singh, superintendent of Police, Durg, denied the allegations that police was putting pressure on the hospital authorities to discharge the injued persons to enable the police to arrest them. He said in a statement that it was the privilege of the doctors to discharge or admit the injured persons and the police had nothing to do in this connection. Mr Singh said baseless propaganda was being made through the media about the death toll in firing and added only fifteen

M.P Chronicle 12.7.92

Police demand copter for searching Naxals

JAGDALPUR: The Bhilai Range DIG Mr. NK Singh said that intensive search of Naxalites in Bastar the police is in need of a helicopter to conduct ariel patrolling of the dense wooded areas and expaqsive territory.

Mr. Singh said that regarding ariel surviellence he has written to the State Govt. Mr. Singh put aside such anxieties that the helicopter while flying low of forest terrain will be in danger of crash landing or in being shot down by naxalites. He said such doubts were unfounded.

He said that in Leh, when helicopters were brought into action for reconnaissance the 2 years term in Len showed the success of the use of helicopter for surviellence work. He said that the helicopters manufactured in India are such that there is no danger of bullets piercing the copter. He said that if the Police obtains such a helicopter then it will be easier for them to search Naxalites. Especially during the rainy season when it is dimcult to reach the interior areas which are unapproachable by road.

भिलाई गोलीकांड मृतकों की अधिकृत सूची

13-7-92

दुर्ग। भिलाई गोलीकांड में मारे गये लोगों की अधिकृत सूची आज जिला प्रशासन ने घोषित की है। सूची में मरने वालों की संख्या १५ बताई गई है।

आज शासकीय तौर पर यह बताया गया कि भिलाई गोलीकांड में मृत व्यक्तियों की संख्या १५ है। इन मृतकों में ५ छत्तीसगढ़ तथा केडिया डिस्टलरी के श्रमिक, १ सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग का मशीन आपरेटर, २ ए.सी.सी. के कर्मचारी, १ बी.ई.सी. कंपनी का लेथ मशीन आपरेटर तथा १ केडिया डिस्टलरी का निलंबित श्रमिक है। इसके अतिरिक्त ३ अन्य व्यक्ति हैं, जिनमें १ सेलून दुकानदार, १ ट्रेक्टर ड्रायवर तथा १ रिक्शा चालक है। इसके अलावा अन्य २ मृत व्यक्तियों को अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। इनमें से १ पुरुष लगभग ३५ वर्ष का है तथा दूसरा लगभग ४५ से ५० वर्ष का है।

सरकारी सूची

१- आसीम दास आ. नागेंद्र दास ३६ साल जाति बंगाली थाना जामुल के सामने हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई (सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग मशीन आपरेटर)।

२- के.एन. प्रदीप कुट्टी आ. नारायण उम्र २५ वर्ष निवासी जोन-२, सड़क-३०, ब्लाक-बी, खुर्सीपार भिलाई, [illegible] (डिस्टलरी में इलेक्ट्रीशियन)।

३- केशवप्रसाद गुप्ता आ. [illegible] प्रसाद गुप्ता उम्र ४१ वर्ष, साकिन मिलन चौक, संतोषीपारा कैम्प-२ भिलाई (ए.सी.सी. ठेकेदार लक्ष्मी दास का ड्रायवर)।

४- किशोरी आ. राम किशुन मल्लाह २५ वर्ष निवासी पुराना मछली मार्केट पावर हाऊस भिलाई थाना छावनी (डिस्टलरी में श्रमिक है)।

५- लक्ष्मण वर्मा आ. राम भरोसा उम्र ३२ साल निवासी संतोषीपारा कैम्प-२, थाना छावनी भिलाई (बी.ई.सी. कंपनी में लेथ मशीन आपरेटर)।

६- मधुकर आ. [illegible] जाति नाई साकिन हाऊसिंग बोर्ड कालोनी मकान नं. १४९७, थाना जामुल भिलाई (सेलून दुकानदार)।

७- कुमार वर्मा आ. [illegible] राम वर्मा उम्र २५ वर्ष कैम्प-२, भिलाई थाना छावनी (डिस्टलरी भिलाई में श्रमिक)।

८- रामाज्ञा आ. रघुनाथ चौहान उम्र २० वर्ष निवासी इंदिरा नगर सुपेला, थाना सुपेला (टैक्टर ड्रायवर)।

९- प्रेम नारायण आ. मंगलदास सतनामी उम्र २५ वर्ष साकिन पचपेड़ी, हाल छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी (छत्तीसगढ़ डिस्टलरी में श्रमिक)।

१०- जोगो आ. [illegible] उड़िया ४० साल साकिन जनता स्कूल के पास गांधी चौक कैम्प-२ थाना छावनी भिलाई (रिक्शा चालक)।

११- पुराणिक [illegible] आ. [illegible] साहू ३२ साल साकिन [illegible] कुम्हारी भिलाई (डिस्टलरी में श्रमिक)।

१२- मनहरण वर्मा आ. [illegible] प्रसाद वर्मा ३२ साल साकिन [illegible] थाना नंदिनी (ए.सी.सी. में मजदूर है)।

१३- इंद्र देव आ. मुंशी चौधरी २५ साल निवासी ए.सी.सी. चौक जामुल भिलाई (केडिया डिस्टलरी का निलंबित श्रमिक है)।

१४- अज्ञात पुरुष उम्र ३५ वर्ष [illegible]।

१५- अज्ञात पुरुष उम्र [illegible] ४५ से ५० वर्ष।

भिलाई गोलीकांड, प्रशासनिक कार्रवाई पर अनेक प्रश्नचिन्ह?

रेलपांतों पर आंदोलनरत श्रमिकों के साथ ही जी.ई. रोड व बाजारों पर बंदूकें गरजीं

नवभास्कर 13.7.92

भिलाई, २ जुलाई। एक जुलाई को यहां घटित गोलीकांड में मृतकों की संख्या क्या कम हो सकती थी? एवं जिला प्रशासन को गोलीचालन के पूर्व वहां आसपास एकत्रित भीड़ को खदेड़ देने का प्रयास नहीं करना था? इन जैसे अनेक सवाल आज लगभग सभी बुद्धिजीवियों के मस्तिष्क में कौंध रहा है। ये मुद्दे गोलीकांड के आलोचकों के मध्य सर्वाधिक बहस के विषय बन गए हैं। वहीं यह सवाल भी है कि गोलीचालन में उस दौरान फैली भारी भीड़ के कारण ही क्या बहुत अधिक लोगों की जानें नहीं चली गई?

ज्ञातव्य रहे कि उक्त तारीख को पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आव्हान पर पावर हाऊस रेलवे स्टेशन से कुछ आगे पश्चिम की ओर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक रेल रोको आंदोलन पर बैठे आंदोलनकारी श्रमिकों को रेलपांतों से हटाकर वहां रेल यातायात व्यवस्थित करने के मुख्य उद्देश्य से किए गए गोलीचालन में सासकीय सूत्रों के अनुसार १५ लोग मारे गए हैं। गैर शासकीय सूत्रों के अनुसार यह आंकड़ा तकरीबन ५० के आसपास है। जिनमें मरने वालों में अनेक ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका छमुमो और उसके आंदोलन से कभी किसी तरह का नाता नहीं रहा।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस द्वारा गोलीबारी छह बजने के लगभग आठ मिनट पूर्व से प्रारंभ कर दी गई। उस समय तक घटनास्थल के आसपास जी.ई. रोड पर आवागमन पूरी तरह से अवरूद्ध नहीं था। लोग वहां से पैदल, साइकिल तथा अन्य दूसरे वाहनों से आ-जा रहे थे। उसी तरह सिक्स ट्री मार्ग पर भी यातायात बंद नहीं था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आंदोलनरत श्रमिक रेलपातों पर बैठे हुए थे। वहीं समीपवर्ती क्षेत्रों महात्मा गांधी मार्केट, जवाहर मार्केट, नंदिनी रोड, पावर हाऊस चौक, खुर्सीपार, न्यू बसंत सिनेमा गृह एवं सेक्टर-एक के आसपास बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित थी।

कौतुहल से माहौल को परखने और उस पर अपनी तात्कालिक खट्टी-मीठी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली इस भीड़ में शामिल बनसमूहों की संख्या पांच से सात हजार तक पहुंच रही थी।

पुलिस द्वारा फायरिंग प्रारंभ कर दी गई थी उस समय दूर से उसकी आवाज सुनने वाले लोग सशंकित जैसे थे। प्रतिक्रियाएं देखने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें संभावना थी कि फायरिंग आदि से उत्पन्न होने वाली आवाज हवाई फायरिंग अथवा पटाखे छूटने की होगी। ऐसे लोगों ने यह भी शंका प्रकट की थी कि उसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों के द्वारा विजय टाकीज के सामने राज्य परिवहन निगम की एक बस को लगा दी गई आग में उसके टायरों के फूटने की आवाज होगी।

गोली चालन के पूर्व स्थानीय प्रशासन ने पावर हाऊस जी.ई. रोड तथा उसके आसपास क्षेत्रों में उपस्थित भीड़ को खदेड़ने के लिए क्या प्रयास किए थे, यह अस्पष्ट है। लेकिन चानकारों का कहना है कि पुलिस द्वारा गोलीचालन शुरू हो जाने के पश्चात भी उन क्षेत्रों में भारी भीड़ फैली हुई थी। जी.ई. रोड पर आकर गोलीचालन प्रारंभ किए जाने के बाद ये लोग भागने लगे थे। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में भागने वाले कुछ लोगों को भी गोलियां लगी। इससे हताहतों की भगदड़ में शामिल कुछ लोग उठकर भी भागे।

गोलीकांड के आलोचकों की इस संबंध में तीखी प्रतिक्रिया के साथ यह सवाल भी है कि जैसे कि जिला प्रशासन का कहना है कि रेल यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शुरू की गई फायरिंग का मुंह जी.ई. रोड पर खड़ी भीड़ की ओर करने की क्या वजह थी। क्या वास्तव में यह आवश्यक था? आलोचकों ने सरकार से इसके विशेष जांच की मांग की है। वहीं संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा गोली चालन के आसपास मौजूद भीड़ को किसी भी प्रकार खदेड़ दिया गया होता तो अनेक निर्दोष लोगों की जानें नहीं गई होती। इस दौरान पुलिस द्वारा अति उत्साह में जनता के दमन को नियंत्रित करना था।

दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि यदि प्रशासन बाहरी भीड़ को हटाने में सफलता प्राप्त कर लेती तो उसके बाद शायद ही यह गोली चालन की नौबत रहती।

खदेड़-खदेड़ कर लोगों को इससे पहले कभी नहीं मारा गया- शास्त्री

रायपुर (समवेत शिखर)। भिलाई गोलीकांड के संदर्भ में जन नेता जमुना प्रसाद शास्त्री ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली घटना है। मजदूर आंदोलनों में पहले भी गोलियां चली हैं किंतु खदेड़-खदेड़ कर योजनाबद्ध ढंग से लोगों को पहले कभी नहीं मारा गया।

एक पत्रवार्ता में आज श्री शास्त्री भिलाई से लौटने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में, कहा कि इस गोलीकांड के लिए पटवा सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और राष्ट्रपति को चाहिये कि संविधान की धारा ३५६ के प्रावधानों के अनुसार असंवैधानिक ढंग से शासन करने वाली तथा अलोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने वाली सरकार को भंग कर दें। इस हेतु मैं राज्यपाल से निवेदन भी करुंगा कि इस पर गौर करें। जब उनसे पूछा गया कि यदि राज्यपाल ने यह आवेदन राष्ट्रपति को नहीं भेजा तो आप क्या करेंगे? इस पर श्री शास्त्री ने कहा कि मैं राष्ट्रपति से स्वयं आग्रह करुंगा। राष्ट्रपति दो तरह से कार्रवाई कर सकते हैं (१) राज्यपाल की रिपोर्ट पर या (२) अन्य तरीके से

श्री शास्त्री ने कहा कि हमारी मांगों में यह भी शामिल है कि २० महीनों से भी ज्यादा समय से मजदूरों को रोजगार से विमुख रखने वाले उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त कर मजदूरों को हर्जाना देना चाहिये। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बैंक प्रतिभूति घोटाले में एक आर्डिनेंस निकाल कर सरकार ने १४ कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कलेक्टर, कमिश्नर व अन्य जिम्मेदार अफसरों पर सीधे हत्या का अभियोग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाना चाहिये।

श्री शास्त्री ने कहा कि राज्य सरकार के साथ-साथ इस घटना के लिए केंद्रीय सरकार भी दोषी है जिसने इस मुद्दे पर २० महीने तक कुछ नहीं किया। श्रमिकों को उनका जायज दिलाने के मुद्दों पर केंद्रीय सरकार समझौते करती है तो उसे इस आंदोलन की भी पूरी खबर होनी चाहिये थी। उसे हस्तक्षेप करना चाहिये था, उन्होंने नहीं किया, इसलिये केंद्र भी उतना ही दोषी है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी इस बारे में बातचीत करुंगा।

विद्याचरण शुक्ल की हाल में मजदूरों के पक्ष में दिए गए वक्तव्य के संबंध में श्री शास्त्री ने कहा कि विद्याचरण शुक्ल पर तो आरोप है कि उनका सिम्प्लेक्स वगैरह कंपनियों से सांठगांठ है और अब राजनीतिक लाभ के लिए वे ऐसा कर रहे हैं।

श्री शास्त्री ने कहा कि पटवा द्वारा गोलीकांड की न्यायिक जांच का आश्वासन इस पर पर्दा डालने की एक कोशिश है, म.प्र. सरकार को बर्खास्त करने तक यह जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं अभी भोपाल फिर वहां से दिल्ली जा रहा हूं वहां मैं सीटू, पी.यू.सी.एल. और अन्य सभी मजदूर संगठनों से आग्रह करुंगा कि सब मिलकर वे कोई प्रभावकारी आंदोलन करें। ८ जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरु होगा मैं देश भर के सभी मजदूरों से आग्रह करुंगा कि वे आंदोलन करें। उन्होंने यह भी कहा कि यह गैरसरकार मजदूर संगठनों के लिए चुनौती है। 'समूचे विश्व के मजदूरों एक हो' यह नारा दिया जाता है। आई.एल.ओ. अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आई.सी.एफ.टी.यू. इंटरनेशनल कान्फेडेरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन से भी आग्रह करुंगा कि वे इस दिशा में पहल करें।

श्री शास्त्री ने कहा कि ११ से १ बजे तक कर्फ्यू में ढील थी मैंने घर-घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। मुझे सात व्यक्तियों के लापता होने की एक सूची दी गई है जिसमें मुन्ने खां १४ वर्ष, सुभाष रोड रामनगर का एक ११ वर्षीय बालक चंद्रशेखर, सुखराम शर्मा, हेमलाल कपसदा कुम्हारी तथा उनकी मां शांति बाई, कांता बाई पचपेड़ी और पंगु निषाद कुम्हारी के हैं, जो घटना के बाद गायब हैं।

गोलीकांड के विरोध में ... बंद रहा, रैली ...

[illegible]

... आवाज उठाई।

अपने भाषण में श्री कौशिक ने कहा कि मुख्य मंत्री सुंदरलाल पटवा